पत्रिका

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई

रावतपुरा सरकार कॉलेज के घोटाले में जेल भेजे गए चार आरोपियों की जमानत खारिज

रायपुर@ पत्रिका. रावतपुरा सरकार आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (एसआरआईएमएसआर) को मान्यता दिलाने और सीटें बढ़ाने के नाम पर 55 लाख रुपए की रिश्वतखोरी करने वाले डॉ. अशोक शेलके, ए. सतीश, डॉ. चैत्रा एमएस और के. रविचंद्र की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उक्त सभी डॉक्टरों ने सीबीआई के विशेष न्यायालय में आवेदन लगाया था। इसमें स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठे प्रकरण में फंसाए जाने और जमानत दिए जाने पर जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया था। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस समय प्रकरण की जांच चल रही है। जमानत देने पर जांच प्रभावित हो सकती है। विशेष न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। बता दें कि इसके पहले कर्नाटक स्थित मंड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के प्रोफेसर डॉ. मंजुप्पा सीएन और अतुल तिवारी की जमानत खारिज हो चुकी है।

27/07/2025 | Raipur City | Page : 7
Source : https://epaper.patrika.com/